




अज अदालत  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

1. देवाराम पुत्र आदाराम  
2. मोरोदेवी पत्नि देवाराम पुत्रवधू  
आदाराम जाति रबारी निवासी मूगडा  
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

बनाम

1. मालाराम पुत्र बगदाराम  
2. निम्बाराम पुत्र बगदाराम  
3. अमराराम पुत्र बगदाराम  
जाति रबारी निवासी मूगडा  
तहसील पचपदरा  
4. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार पचपदरा  
मुकदमा संख्या 121/2023

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.7.2023	यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। 1. कोर्ट फीस पूर्ण है। 2. वांछित दस्तावेज संलग्न/पूर्ण है। 3. प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4. अतः वाद दर्ज करने योग्य है।  अवलोकनार्थ एंव आदेशार्थ   सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  19/7/23 यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण वकील द्वारा प्रतिवादी के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया। जो प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण वहन करेंगे। वादीगण वकील को प्रतिवादी के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 14.8.2023 को पेश हो।   सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा  14.8.2023 वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की ओर से प्रकरण में Not Press किया गया है और प्रकरण को शीघ्र चलायी नहीं चाहते हैं। एसी करण से प्रकरण स्थगित होये पर निराकरण किया गया उचित

Not Press  


सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

सुनीत होता है। उपकरण कभी तककी  
स्टेप के ही विभागीय चरु रण है।  
वकील वादीगण ही सुझाव को हाजे  
चलाना नहीं चाहते हैं। ठेकी कूल है  
वादीगण का वाद Not Press है इसी  
स्टेप पर खरिफ मिना वाता है।  
पत्रावली केवल सुझाव है।  
वाखिल पप-तर हों।

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा